COURT FEE भारत INDIA १० Rs. दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA 5 Rs. पांच रुपये FIVE RUPEES

C.F. Rs 15/-

24 MAY 2000

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रं. /2000

R. 700 -PBR/2000

क्रमांक ... श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 4/5/2000 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव एडवोकेट 4-5-2000 ग्वालियर

कैलाशनारायण पुत्र मन्नूलालवैश्य
निवासी करैरा, तहसील करैरा
जिला- शिवपुरी (म0प्र0)
--- आवेदक री

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
शिवपुरी (म0प्र0)

2- ज्ञानीचंद पुत्र मन्नूलाल वैश्य
निवासी- करैरा, तहसील-
करैरा जिला- शिवपुरी (म0प्र0)
--- अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्र.क्र. 146/87-88/अपील में पारित आदेश दिनांक 5.4.2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं ।

2- यहकि, विचारण न्यायालय अनुविभागीय महोदय ने आवेदक को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आदेश पारित किया था । अपीलीय न्यायालयों ने आवेदक को सूचना होना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना मानने में भूल की है, उक्त निष्कर्षों के आधार

क्रमशः---2/-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 700/अध्यक्ष/2000 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.05.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित होकर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण कमांक 146/87-88/अपील में पारित आदेश दिनांक 5.4.2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है। 2–प्रकरण का सारांश यह है कि कस्बा करैरा जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे न0 913,964,917 रकबा 560481 वर्ग फुट जो आवेदक के स्वामित्व की भूमि है। पर संहिता की धारा 172(7) के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यपवर्तित मानकर निर्धारण किया है निर्धारण 3362-93 पैसे तथा प्रीमियम 6833-35 वर्ष 1977 से कायम किया। अनुविभागीय अधिकारी करैरा के आदेश दिनांक 22.9.86 से परिवेदित होकर कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें कलेक्टर के आदेश दिनांक 22.2.88 द्वारा अन्दर म्याद नहीं होने के कारण निरस्त किया है। इससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 146/87-88/अपील में दर्ज होकर दिनांक 5.4.2000 को कैलाश नारायण बैश्य की अपील निरस्त की गई।	

इसी आदेश से दुखी होकर आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है ।

3– आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित होकर अपने तर्क में मुख्य रूप से वही तर्क दोहराये है जो उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के न्यायालय में नोटिस/सूचना नहीं होने की आपत्ति की है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने कोई सूचना नहीं दी थी। तब ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को अपील आदेश की जानकारी के दिनांक से अन्दर म्याद ग्राह्य की जाना चाहिये थी । उन्होंने बताया है कि विवादित भूमि काबिल काश्त नहीं अतः ऐसी स्थिति में धारा 172 (7 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि 1982–83 से कृषि कार्य किया जा रहा है फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने वर्ष 1977–78 से प्रीमियम एवं डायवर्सन निर्धारण करने में त्रुटि की है। उनका तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने मनमाने ढंग से निर्धारण किया है वह निरस्त करने योग्य है। अतः अंत में उन्होंने निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

4–अनावेदक–1 शासन के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती होने से उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि आदेश विधि अनुसार किये

गये हैं ।

5–मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मुख्यरूप से आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । जबकि अपर आयुक्त के आदेश में पैरा 4 में उल्लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ कमांक–9 पर जो जबाब प्रस्तुत किया गया है वह आवेदक एवं अनावेदक कमांक–2 ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। इससे यह माना जा सकता है कि आवेदक एवं अनावेदक–2 को सूचना हुई है इसी कारण वह अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय की पत्रावली से पुष्टि होती है।

7– अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्र0क0 146/87–88/अपील में पारित आदेश दिनांक 5.4.2000 कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती । परिणम स्वरूप अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है। आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस हो। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

के. सी. जैन
सदस्य